

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)
आदेश

10/3/22

अभिलेख उपस्थापित।

उक्त अनुमति वाद सं०-27/2021-22 में आवेदक अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक को न्यायालय में उपस्थित होने एवं उक्त वाद में अपना पक्ष रखने एवं भूमि संबंधी कागजात दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)

26/4/22

अभिलेख उपस्थापित।

निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका— जगदीश बड़ाईक, पिता/पति— स्व० मंगलू बड़ाईक ग्राम— पोकटा, पो०—कुम्हारी, थाना— बसिया, जिला— गुमला के द्वारा मौजा—पोकटा के खाता सं०—99, प्लॉट सं०—1629, रकबा 0.48 एकड़ में से 0.04 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु दाखिल अनुमति आवेदन के संबंध में लम्बी अवधि से बिक्रेता एवं क्रेता उक्त वाद में भूमि संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं अनुपस्थित रहे हैं। उक्त वाद में आवेदक के द्वारा नोटिस तामिला होने के पश्चात भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक द्वारा दाखिल अनुमति वाद सं०—27/2021-22 में किसी प्रकार अभिरुची एवं भूमि संबंधी कागजात दाखिल नहीं किया गया।

अतः उक्त अनुमति वाद में आवेदक/आवेदिका का अभिरुची नहीं लेने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख बंद किया जाता है।

लेखापित।



भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)